

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक ९ / खाद्य / 2020 /
प्रति,

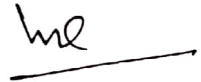
अटल नगर, दिनांक 09 अप्रैल, 2020

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- लॉकडाउन के कारण राज्य के किसी अन्य जिले/नगर/ग्राम पंचायत के राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण के संबंध में।

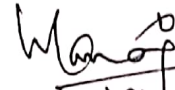
कृपया विषयांतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान जिले में अन्य जिलों के राशनकार्डधारी या जिले के ही अन्य शहर/ग्रामों के राशनकार्डधारी, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री का उठाव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उनके वर्तमान निवासस्थान की निकटतम उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री प्रदाय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-

1. कोर पीडीएस उचित मूल्य दुकानों में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टेबिलिटी का प्रावधान किया गया है।
2. शेष कम्प्यूटरीकृत उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए विभागीय वेबसाइट के कोर पीडीएस खाद्य निरीक्षक माड्यूल में ऐसे राशनकार्डधारियों के संबंध में डेटा एंट्री का प्रावधान किया गया है।
3. ऐसे राशनकार्डधारियों को जिस उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्रदाय किया जाना है, के संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा उक्त माड्यूल में संबंधित हितग्राही का राशनकार्ड नम्बर दर्ज करके खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले उचित मूल्य दुकान आईडी का चयन किया जाएगा। खाद्य निरीक्षक द्वारा दुकान आईडी चयन कर इसे सुरक्षित करने के उपरान्त उक्त राशनकार्ड संबंधित उचित मूल्य दुकान में प्रदर्शित होगा। इसके पूर्व संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह संबंधित हितग्राही को यह अवगत करावें कि नवीन उचित मूल्य दुकान से उसके कार्ड को संलग्न किए जाने के फलस्वरूप मूल उचित मूल्य दुकान में उसका राशनकार्ड प्रदर्शित नहीं होगा।
4. इसके पश्चात उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा टेबलेट के माध्यम से संबंधित हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा।



5. यदि किसी हितग्राही द्वारा मूल उचित मूल्य दुकान एवं नवीन उचित मूल्य दुकान, दोनों से खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर लिया जाता है, तो इसका समायोजन आगामी माहों में संबंधित हितग्राही के खाद्यान्न सामग्री से ही किया जावेगा।
6. कोर पीडीएस उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रय के आधार पर मांग पत्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रस्तुत करेंगे।
7. शेष उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न वितरण के बाद खाद्य निरीक्षक/ जिला खाद्य अधिकारी के माध्यम से योजनावार अतिरिक्त आबंटन की मांग संचालनालय से की जा सकेगी।
8. संचालनालय से अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किए जाने के उपरांत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नियमानुसार राशन सामग्री का भण्डारण संबंधित उचित मूल्य दुकानों में किया जावेगा।
9. उपरोक्त व्यवस्था अस्थायी रूप से 02 माह हेतु ही की जा सकेगी।

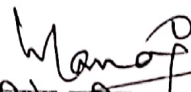
अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।


 (मनोज कुमार सोनी)
 विशेष सचिव

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
 अटल नगर, दिनांक 09 अप्रैल, 2020

पृ.कमांक ९९ /खाद्य/2020/
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 विशेष सचिव

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर